राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक :F 26(4)(208)(56)Deworming/IEC/ICDS/2013-14/Pt.II/85067-403 जयपुर,दिनांक : 5/8/2020

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)

बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त (राजस्थान)

विषयः— राष्ट्रीय डी—वार्मिंग व एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम एवं विटामिन—ए कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय डी—वार्मिंग व एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम एवं विटामिन—ए कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किये जाते है। उक्त कार्यक्रमों के संचालन में आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनियों के माध्यम से लाभार्थियों को सूक्ष्म पोषक तत्वों से लाभान्वित किया जा रहा है। आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनियों के उक्त कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में क्या—क्या दायित्व है, के संबंध में निम्नानुसार विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित की जायेः—

क्र. सं.	गतिविधियां	लक्षित समूह	आशा सहयोगिनी के कार्य	आंगनबाडी कार्यकर्ता के कार्य
1	आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण (IFA सिरप)	6 माह से 59 माह के बच्चे (सप्ताह में दो बार)	• गृह भ्रमण के दौरान चिन्हित लाभार्थियों की सूची तैयार करना। • पीएचसी / उप स्वास्थ्य केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में IFA सिरप की प्राप्ति लेना। • गृह भ्रमण के दौरान अपनी निगरानी में इन्हें सप्ताह में दो बार एएनएम द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रथम बार आशा द्वारा बच्चों को खुराक दी जानी है और माता पिता को भी सिखाना है। माता पिता द्वारा सही मात्रा, तरीका एवं नियमितता की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना। • 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वर्ष में 2 बार एनीमिया की जांच आरबीएसके (RBSK) टीम के द्वारा करवाना तथा उसका फॉलोअप करना। • IFA सिरप की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को साझा करेगी तथा एक प्रति आंगनबाडी कार्यकर्ता को रिकार्ड संधारण हेतु देगी। • गृह भ्रमण के दौरान अभिभावको को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित जानकारी देगी।	रिकार्ड का संधारण करना।
2	IFA नीली टेबलेट	10 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां	• गृह भ्रमण के दौरान 10 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों का सर्वे कर सूची तैयार करेगी तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता के साथ साझा करेगी। • पीएचसी / उप स्वास्थ्य केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में IFA नीली टेबलेट की प्राप्ति लेना। • 10 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां जो केन्द्र पर नहीं आ रही है। उन्हें आशा गृह भ्रमण के दौरान IFA नीली टेबलेट सेवन की निगरानी करेगी। • IFA नीली टेबलेट की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को साझा करेगी।	• आशा से पर्याप्त मात्रा में IFA नीली टेबलेट प्राप्त करेगी। • 10 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को पोषाहार दिवस / किशोरी दिवस (त्रैमासिक) या MCHN/VHSN दिवस के दिन साप्ताहिक एक गोली के अनुसार देना सुनिश्चित करेगी एवं रिकार्ड का संधारण करना।

5	कृमि नियंत्रण	1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे तथा 10 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां	• कृमि नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष में दो बार छः माह के अन्तराल पर आयोजित किया जाता है। इसके लिए गृह भ्रमण के दौरान 1 से 5 वर्ष के बच्चों व 10 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों की सूची आशा द्वारा तैयार कर आंगनबाडी कार्यकर्ता के साथ साझा करेगी एवं कृमि नियंत्रण की दवा खिलाने में कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करेगी। कृमि नियंत्रण दिवस व मॉपअप दिवस के बाद दवा से वंचित रहे बच्चों को आशा गृह भ्रमण के दौरान खिलायेगी। • पीएचसी/उप स्वास्थ्य केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में विटामिन–ए सिरप की प्राप्ति लेना तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराना।	• इसके तहत 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे तथा 10 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को आंगनबाडी केन्द्र पर कृमि नियंत्रण की दवा खिलायी जाती है। इस दौरान कृमि नियंत्रण की दवा खिलायेगी तथा रिकार्ड का संधारण करेगी।
6	विटामिन–ए	9 माह से 5 वर्ष के बच्चे	• विटामिन–ए अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष में दो बार छः माह के अन्तराल पर आयोजित किया जाता है। इसके लिए गृह भ्रमण के दौरान 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों की सूची तैयार कर आंगनबाडी कार्यकर्ता के साथ साझा करेगी एवं विटामिन–ए पिलाने में आंगनबाडी कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करेगी। • खसरा के टीके के साथ विटामिन–ए की खुराक एएनएम द्वारा दी जायेगी। यदि कोई बच्चा इस दौरान विटामिन–ए की खुराक से वंचित रहता है तो आशा उसे विटामिन–ए अभियान के दौरान दवा पिलवाया जाना सुनिश्चित करें। • पीएचसी/उप स्वास्थ्य केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में विटामिन–ए सिरप की प्राप्ति लेना तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराना।	• 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों की सूची को अघतन करेगी (रजिस्टर नम्बर 7) तथा आवश्यकता के अनुसार विटामिन–ए की बोतल आशा से प्राप्त करेगी तथा 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन–ए बोतल के साथ उपलब्ध करायी गई चम्मच से पिलायेगी तथा रिकार्ड का संधारण कर रिपोर्ट आईसीडीएस विभाग को साझा करेगी।

नोटः– यदि किसी आंगनबाडी केन्द्र पर आशा सहयोगिनी का पद रिक्त है, तो वहां आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा आशा सहयोगिनियों के उपरोक्त दायित्व का निर्वहन किया जायेगा। इसी प्रकार यदि किसी केन्द्र पर आंगनबाडी कार्यकर्ता का पद रिक्त है, तो वहां आशा सहयोगिनी द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता के उपरोक्त दायित्व का भी निर्वहन किया जायेगा।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :F 26(4)(208)(56)Deworming/IEC/ICDS/2013-14/Pt.II/ 85404-08 जयपुर,दिनांक : 5/8/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त परियोजना समन्वयक, पोषण अभियान, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
5. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ राजस्थान, जयपुर।
6. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।